न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 201 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

भानुराम पिता स्वर्गीय उदा जी डांगी, निवासी एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नारायणलाल पिता स्वर्गीय उदा जी डांगी, निवासी सेन्ट मेरिज स्कूल के पास, तितरडी, उदयपुर (राज.)
2. जगदीश पिता स्वर्गीय उदा जी डांगी, निवासी सेन्ट मेरिज स्कूल के पास, तितरडी, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चन्दरी बाई पत्नी कालूराम जी डांगी, निवासी काईयों का नोहरा, शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 06.02.2015 संशोधित निर्णय
दिनांक 01.07.2016 प्र. सं. 394 / 11

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री हीरालाल मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे॰ सं॰ 1, 2

———:::———

निर्णय **दिनांक 28–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा व प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेला व तितरड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ''

व ''ब'' की भूमियां स्थित हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष उदा जी के 3 पुत्र नारायणलाल, भानूराम व जगदीश हुए तथा एक पुत्री चन्दीबाई व पत्नी रूपाबाई है तथा उदा जी के उक्त पॉचों वारिसानों प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उदा जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने स्वर्गीय उदा जी की सम्पूर्ण भूमि हड़पने के लिए एवं वादी को उसके हिस्से से वंचित करने के लिए एक फर्जी वसीयत बना ली, जिसके आधार पर राजस्व कर्मियों से मिलकर भूमि का नामान्तरकरण करवाना चाहते हैं तथा मौके पर भू–माफियों को लाकर भूमि की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएवं वाद वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नेला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' में अंकित भूमियों में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा होना व उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा होना स्वीकार है। मौजा तितरड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''ब'' में अंकित भूमियों में उदयलाल पिता रूपा डांगी का 4/9 हिस्सा था, जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उन्हें रहन, बेह, बक्षीस, वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होने से उनके द्वारा अपने 4/9 हिस्से में से 5/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश चन्द्र को तथा 3/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल को वसीयत कर रजिस्ट्री करा दी। उदयलाल जी की दिनांक 07–12–2012 को मृत्यु हो गयी, जिसके बाद उदयलाल जी के उक्त 5/18 व 3/18 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज चले आ रहे हैं। वादी का कलम 1 ''ब'' की भूमियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विशेष कथन में अंकित किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' व ''ब'' की भूमियों के सहखातेदारान को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में वाद चलने योग्य नहीं होकर इसी आधार पर निरस्त योग्य है।

काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा तितरड़ी की कुल किता 21 रकबा 2.8800 हैक्टर भूमि में उदयलाल पिता रूपाजी डांगी का 4/9 हिस्सा, लालूराम पिता

रूपा जी डांगी का 4/9 हिस्सा व नारायण पिता उदयलाल का 1/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उदयलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में अपने उक्त 4/9 हिस्से में से 5/18 हिस्सा जगदीश को तथा 3/18 हिस्सा नारायणलाल को वसीयत कर दिनांक 21–11–2011 को रजिस्ट्री करा दी। उदयलाल जी की मृत्यु दिनांक 07–12–2011 को हो गयी, जिससे वसीयत शुदा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज हुए। काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल का 1/9 हिस्सा पहले से था तथा उदयलाल जी द्वारा 3/18 हिस्सा वसीयत करने से उसका 5/18 हिस्सा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के पक्ष में 5/18 हिस्से की वसीयत किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 5/18, 5/18 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां उदयलाल जी की स्वअर्जित होने से उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। अतएवं काउण्टर क्लेम की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 5/18, 5/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त जवाब मय काउण्टर क्लेम दिनांक 04–06–2012 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14–08–2012 को वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 394/2011 में एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा प्रकरण नामान्तरकरण बाबत् तहसीलदार गिर्वा में विचाराधीन है, जिसके न्यायोचित निस्तारण के लिए में उक्त प्रकरण उठाना चाहता हूँ। उक्त आवेदन पर वादी के अधिवक्ता श्री श्यामलाल के हस्ताक्षर हैं।

उक्त आवेदन के साथ वादी/अपीलान्ट द्वारा फोटो शुदा एक आवेदन जिसमें प्रकरण संख्या 394/2011 अंकित करते हुए प्रकरण बाबत् विड्रो करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय आप में आज पेशी नियत है। प्रार्थी के पुत्र गोविन्द डांगी ने प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि एवं अन्य भूमि के नामान्तरकरण बाबत् अर्जी तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है, जिसके प्रकरण संख्या 13/2012 होकर विचाराधीन है। प्रार्थी आप न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को विड्रो करना चाहता है ताकि तहसीलदार गिर्वा के समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही सुचारू रूप से

चल सके। क्योकि न्यायालय तहसीलदार गिर्वा में नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि की विचाराधीन है इसलिए प्रार्थी मात्र मौजा सवीना एवं तितरड़ी की ही कार्यवाही नहीं चलाना चाहता है। अतएवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पुनः आवेदक द्वारा यह अंकित किया गया कि प्रार्थीना पत्र में गलती से मौजा सवीना व तिरड़ी ग्राम अंकित कर दिया गया है, परन्तु प्रकरण में सम्पूर्ण आराजियात ग्राम नेला व तितरड़ी की ही कृषि भूमि है। व उक्त दोनों गावों की भूमि सहित मैं मेरा सम्पूर्ण दावा व प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर विड्रो करता हूॅ। मेरा दावा विड्रो से इसी स्तर पर कार्यवाही बंद करें। उक्त आवेदन पर स्वयं प्रार्थी/वादी भानुराम के हस्ताक्षर हैं, जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री श्यामलाल द्वारा की गयी है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन का निर्णय करते हुए यह अंकित किया कि ''वादी द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद की कार्यवाही को विड्रो किये जाने हेतु निवेदन किया है। वादी की पहचान उनके वक्ता श्री श्यामलाल डांगी द्वारा की गयी। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विड्रो किया जाकर वादी का वाद पर कार्यवाही बन्द की जाती है।'' अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद विड्रो किये जाने एवं वाद पर कार्यवाही बन्द किये जाने के आदेश दिये तथा प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 10–09–2012 को पेश होने का आदेशिका पर अंकन किया। आदेशिका पर भी प्रार्थी/वादी तथा उसके अधिवक्ता श्यामलाल के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में पत्रावली प्रतिदावे के जवाब हेतु चलती रही। वादी द्वारा जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 09–07–2013 को 100/– रूपये की कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु वादी द्वारा जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 04–12–2013 को वादी का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 04–02–2014 को रखी गयी। दिनांक 26–02–2014 को आदेश 22 नियम 3, 4 का आवेदन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 रूपाबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान पूर्व से रेकार्ड पर होने से उसके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया जावे।

प्रकरण में दिनांक 09–04–2014 को आदेश 8 नियम 1 पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये। दिनांक

31–07–2014 को प्रतिवादी की साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए तथा दिनांक 08–01–2015 को उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–02–2015 को प्रतिवादी का प्रतिवादी स्वीकार किया तथा दिनांक 01–07–2016 को टंकण त्रुटि के कारण आराजी नंबर 2554 के स्थान पर 2654 निर्णय में अंकित किये जाने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06–02–2015 से रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता उदा जी के नाम विवादित भूमियां अंकित होकर प्रार्थी उन पर कृषि करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने इलाज के बहाने ले जाकर दिनांक 21–11–2011 को ग्राम तितरड़ी स्थिति कृषि भूमियों की वसीयत निष्पादित करवा पंजीयन करवा लिया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त भूमियों को प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम करने का निवेदन किया जो प्रार्थी को उक्त वसीयत की जानकारी हुई, जिस पर उसके द्वारा घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 284/2011 के प्रार्थना पत्र को विड्रो कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन प्रार्थी की नासमझी एवं मौके का फायदा उठाकर मिलीभगत से विपक्षी संख्या 1 व 2 के चहेतों द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या को काटकर दावे का प्रकरण लिखकर दावा विड्रो करा दिया। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। वैसे भी वसीयत फर्जी है और फर्जी वसीयत के आधार पर किये गये निर्णय की कोई मयाद नहीं होती। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ

न्यायालय में पत्रावली तलबी के आदेश में वाद संख्या अंकित कर रखा है जिस पर वादी के हस्ताक्षर है तथा उसके अधिवक्ता के भी हस्ताक्षर हैं तथा आदेशिका पर भी वादी एवं उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली काउण्टर क्लेम पर वादी के जवाब के लिए नियत थी। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार वादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। वादी द्वारा कई अवसर चाहने के बाद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–01–2015 को उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 06–02–2015 को निर्णय पारित किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के बाद यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य लेने के बाद तथा उभयपक्षों को सुनने के बाद निर्णय पारित किया है, तद्नुसार मयाद कण्डोन के लिए वादी/अपीलान्ट द्वारा जो आधार लिये गये हैं वह न तो पर्याप्त हैं, न ही ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह प्रकट आता हो कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की जानकारी नहीं हो। समग्र रूप से हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने के लिए जो आवेदन पेश किया है, उसके लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार पेश नहीं किये हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा जो उजर दफा 5 के आवेदन में लिये गये हैं, वहीं तथ्य अपील में वर्णित किये हैं। पंजीकृत वसीयत को अवैध माने जाने का कोई आधार नहीं है तथा भूमियां उदा जी की स्वअर्जित नहीं हो इस बाबत् भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि उसके द्वारा विड्रो किये जाने का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस बाबत् उसे धोखे में रखकर वाद विड्री करवा लिया गया, परन्तु इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, क्योंकि विड्रो के आवेदन पर वाद संख्या वहीं अंकित हैं जो आदेशिका पर अंकित हैं तथा उसके अधिवक्ता द्वारा विड्रो किये जाने की पश्चातवर्ती काउण्टर क्लेम की कार्यवाही में भाग लिये जाने के कारण गुणावगुण आधार पर अपील पोषणीय नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 2008 पेज 197, आर.आर.डी. 2011 पेज 784, आर.आर.डी. 2012 पेज 237, आर.आर.डी. 2012

पेज 190, आर.आर.डी. 2002 पेज 111, ए.आई.आर. 1985 पटना पेज 55, ए.आई.आर. 2006 सुप्रिम कोर्ट पेज 1260, ए.आई.आर. 1986 कोलकता पेज 19, ए.आई.आर. 1957 कोलकता पेज 57, ए.आई.आर. 1968 सुप्रिम कोर्ट पेज 111, ए.आई.आर. 1972 गुजरात पेज 25, ए.आई.आर. 2007 सुप्रिम कोर्ट पेज 482 एवं ए.आई.आर. 1973 इलाहाबाद पेज 527 प्रस्तुत की गयी, जिनका हमारे द्वारा ध्यान पूर्वक परिशीलन कर मनन किया गया तो पाया कि पेश शुदा न्यायिक नजीरों के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भानुराम पिता स्व.उदा जी डांगी, निवासी एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 3, उदयपुर बनाम **नारायणलाल पिता स्व.उदा जी डांगी, निवासी सेन्ट मेरिज स्कूल के पास, तितरड़ी, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**201 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....02**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हीरालाल मेनारिया** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।